रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 256] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 14, 2002/अग्रहायण 23, 1924
No. 256] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 14, 2002/AGRAHAYANA 23, 1924

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, हैदराबाद

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, (अधिशेष का संवितरण) विनियम, 2002

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2002

फा. सं./बी.वि.वि.प्रा./वि./12/2002.—प्राधिकरण, बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 49 और धारा 114क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बीमा सलाहकार समिति के परामर्श से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (अधिशेष का संवितरण) विनियम, 2002 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''अधिनियम'' से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) ''प्राधिकरण'' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उपबंधों के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) 'भाग लेने वाले पालिसीधारकों' से ऐसी 'पार पालिसियों' और पालिसियों, जिनमें लाभ में आस्थगित भागीदारी है के धारक अभिप्रेत हैं, जिन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक रिपोर्ट और संक्षिप्त विनियम) विनियम, 2000 में पारिभाषित हैं;

(घ) 'भाग न लेने वाले पालिसीधारकों' से ऐसी 'गैर-पार पालिसियों' के धारक अभिप्रेत है, जिन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक रिपोर्ट और संक्षिप्त विनियम) विनियम, 2000 में पारिभाषित हैं;

(ङ) ऐसे सभी शब्दों और पदों का, जो इसमें प्रयुक्त है, किन्तु परिभाषित नहीं है, किंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में या तदधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होगा, जो उनका इन अधियमों या नियमों या विनियमों में है।

3. जीवन निधियां - इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, तारीख 1 अप्रैल, 2003 से,-

(1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी बीमाकर्त्ता से निम्नलिखित को पृथक रूप से रखे जाने की अपेक्षा की जाएगी;

(क) भाग लेने वाले पालिसीधारकों के लिए एक जीवन निधि, और

(ख) भाग न लेने वाले पालिसीधारकों के लिए एम जीवन निधि।

(2) उपर उपविनियम(1) के अपेक्षाओं का पालन करने में असमर्थ रहने का अर्थ यह होगा कि बीमाकर्त्ता द्वारा रखी जा रही जीवन निधि केवल भाग लेने वाले पालिसीधारकों के फायदे के लिए है।

4. अधिशेष के संवितरण के लिए प्रक्रिया - कोई जीवन बीमाकर्त्ता, अपने नियत बीमांकक की सलाह पर बीमा, विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक रिपोर्ट और संक्षिप्त) विनियम, 2000 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के लिए आस्तियों और दायित्वों के किए गए मूल्यांकन से उद्‌गत होने वाले बीमांकिक अधिशेष (जिसे मूल्यांकन अधिशेष भी कहा गया है) का एक भाग अपने शेयरधारकों के लिए आरक्षित कर सकेगा, जो:-

(क) भाग न लेने वाले पालिसीधारकों के लिए रखी गई जीवन निधि की दशा में एक सौ प्रतिशत;

(ख) भाग लेने वाले पालिसीधारकों के लिए रखी गई जीवन निधि की दशा में पालिसीधारकों को आबंटित अधिशेष का नवां भाग:

परंतु यह कि किसी बीमाकर्त्ता से, ऐसे मामलों में, जहां उक्त आबंटन अधिशेष का नवां भाग नहीं है; प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की उपेक्षा की जाएगी:

परंतु यह और कि कोई बीमाकर्त्ता अपने शेयर धारकों को उक्त बीमांकिक अधिशेष के दस प्रतिशत से अधिक का आबंटन या आरक्षण नहीं करेगा।

एन. रंगाचारी, अध्यक्ष

[सं. विज्ञापन-3/4/असाधारण/161/02]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY, HYDERABAD

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (DISTRIBUTION OF SURPLUS) REGULATIONS, 2002

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2002

F. No. I/IRDA/Reg./12/2002.—In exercise of the powers conferred by section 49 and 114A of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.----(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Distribution of Surplus) Regulations, 2002.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. --(1) In these regulations, unless the context otherwise requires ----

(a) *"Act"* means the Insurance Act, 1938(4 of 1938); and
(b) *"Authority"* means Insurance Regulatory and Development Authority established under the provisions of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
(c) *"participating policyholders"* means the holders of 'par policies' and 'policies with deferred participation in profits', which are defined in the INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (Actuarial Report and Abstract Regulations) REGULATIONS, 2000;
(d) *"non participating policyholders"* means the holders of 'non par policies' which is defined in the INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (Actuarial Report and Abstract Regulations) REGULATIONS, 2000;
(e) All words and expressions used herein and not defined herein but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or in any Rules or Regulations made there under shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or Rules or Regulations.

3. Life funds.---- For the purpose of these regulations, with effect from 1st April 2003,--

(1) a life insurer registered under section 3 of the Insurance Act, 1938 shall be required to maintain separately:

(a) a life fund for participating policyholders and
(b) a life fund for non participating policyholders.

(2) A failure to comply with the requirements of sub-regulation (1) above shall mean that the life fund maintained by the insurer shall be for the benefit of the participating policyholders only.

4. Procedure for distribution of surplus. — A life insurer may, on the advice of his appointed actuary, reserve a part of the actuarial surplus (also referred to as valuation surplus) arising out of a valuation of assets and liabilities made for a financial year in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000, to its shareholders, which shall be:-

(a) one hundred per cent. in case of a life fund maintained for non-participating policyholders;
(b) one-ninth of the surplus allocated to policyholders in case of a life fund maintained for participating policyholders:

Provided that an insurer shall, however, be required to obtain prior approval of the Authority in cases where the said allocation is not the one-ninth of the surplus.

Provided further that an insurer shall not allocate or reserve exceeding ten per cent. of the said actuarial surplus to its shareholders.

N. RANGACHARY, Chairman

[No. ADVT-3/4/Extraordinary/161/02]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002